The Infinite
An International Peer Reviewed / Refereed Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 10 | October 2025
ISSN: 3048-9539 (Online)
Website: www.theinfinite.co.in

चुनावी पारदर्शिता और मतदाता के अधिकारः एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग, 2025 के विशेष सन्दर्भ का विस्तृत अध्ययन

डॉ0 सत्येन्द्र सिंह

अस्सिटेंट प्रोफेसर

एक्ससिस विधि विद्यालय, कानपुर, उ0प्र0

ARTICLE DETAILS

Research Paper

कुंजी शब्द :

निर्वाचन आयोग, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, विशेष गहन पुनरीक्षण, निर्वाचक नामावली, मतदाता पहचान।

सार :

निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का एक आदेश 24 जून 2025 को जारी किया जिसका उद्देश्य राज्य में चुनाव से पहले बिहार की निर्वाचक नामावली की विशेष व्यापक समीक्षा करना था।[1] इस एसआईआर प्रक्रिया में यह निर्देश दिए गए थे कि वर्तमान निर्वाचक नामावली को 2003 की निर्वाचक नामावली से मिलान किया जाए और जिनके नाम 2003 वाली निर्वाचक नामावली से मेल न खाए उन्हें ग्यारह विशेष प्रकार के परिचय प्रमाण पत्रों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, एससी/एसटी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि में से किसी एक से सत्यापित किया जाए। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित या मान्य परिचय प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड को शामिल नहीं किया गया था। 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले लगभग 65 लाख मतदाताओं को शामिल नहीं किया गया। यह प्रक्रिया पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं थी क्योंकि इसमें वैधानिक एवं संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गईं। जिसके परिणामस्वरूप अधिक पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की गारंटी की माँग के कारण अंतरिम आदेश पारित किए गए। अदालत ने निर्वाचन आयोग को मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों को हटाने के

[1] भारत का चुनाव आयोग, ईसीआई/पीएन/233/2025 दिनांक 24 जून 2025, उपलब्ध है–*https://www.eci.gov.in/eci backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0i RfXbEB 1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzIv7%2FZQ09etPKoyJV5h%2FcTqdXj7y4XEu54AgUpFYqlgb%2F9o wy3xJkkWNyeb7x3GfQsXQUwCbGU493NshNTgs7UQ%3D%3D, (अन्तिम बार देखा गया 25 अगस्त 2025)।*

कारणों को प्रकट करने का आदेश दिया। भारतीय लोकतंत्र की शक्ति उसकी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता में निहित है।

परिचय :

लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत जनता स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी अभ्यर्थी को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोकतंत्र की आत्मा तब ही जीवित रहती है जब नागरिकों को यह विश्वास हो कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और सर्वसुलभ है। मतदाता को न केवल मतदान का अधिकार होना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि उसका वोट सही रूप में दर्ज हो और गिना जाए। वर्तमान में चुनावी पारदर्शिता और मतदाता का अधिकार, भारतीय न्यायपालिका और नागरिकों के विमर्श का प्रमुख विषय बना हुआ है। विशेष रूप से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) जैसे गैर सरकारी संगठनों ने यह मुद्दा उठाया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के बिना लोकतंत्र का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। इस संगठन के प्रयासों ने न्यायपालिका को बार–बार यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या केवल मतदान कराना पर्याप्त है, या मतदाता को सही जानकारी देना और निष्पक्ष मतदाता सूची बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।

लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है जो नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और शासन के उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। चुनाव में पारदर्शिता का अर्थ है कि मतदाता को उम्मीदवार की सही पृष्ठभूमि की जानकारी मिले, मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की हेराफेरी की संभावना न हो और मतदाता सूची से किसी का नाम मनमाने ढंग से न हटाया जाए। पारदर्शिता ही वह तत्व है जो मतदाता और शासन के बीच विश्वास का सेतु बनाता है।

एडीआर ने 1999 से लगातार चुनावी सुधारों की दिशा में कार्य किया है। इसके द्वारा दायर एक ऐतिहासिक मुकदमें में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्याशी की पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करना आवश्यक है।[2] इसके बाद **पीयूसीएल बनाम भारत संघ** ने इस अधिकार को और मजबूत किया।[3] इन फैसलों के बाद प्रत्याशियों को शपथपत्र दाखिल करना जिसमें उन्हें अपनी आपराधिक, शैक्षिक और वित्तीय जानकारी प्रदान करना अनिवार्य किया गया।[4]

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक विशेष गहन पुनरीक्षण कर एक मसौदा तैयार किया जिसमें लगभग 65 लाख नाम, जिनमें कई वैध मतदाता भी शामिल थे, सूची से बाहर किए गए।[5] इससे यह खतरा उत्पन्न हुआ कि बड़ी

---

[2] भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, (2002) 5 एससीसी 294।

[3] पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, (2004) 2 एससीसी 476।

[4] तथैव।

[5] टाइम्स ऑफ इंडिया , *"चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का मसौदा जारी किया, राज्य में 65 लाख नाम हटाए"* (पटना, 25 सितंबर 2025) उपलब्ध है– https://timesofindia-indiatimes-com@city@patna@ec&releases&draft&voter&list&removes&65l&names&in&state@articleshow@123046952-cms 29 *(अन्तिम बार देखा गया 29 अगस्त 2025)*। .

संख्या में लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे और अपने मतदान अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा और नाम हटाए जाने के कारणों को स्पष्ट करना जैसी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया। इस पर अनेक याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुईं, जहाँ अंतरिम आदेश पारित कर चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि ड्राफ्ट रोल से हटाए गए नामों को कारण सहित सार्वजनिक किया जाए तथा पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाए।[6]

यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1), 21, 325 और 326 का उल्लंघन है। यह मामला इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति उसकी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान ऐसे दस्तावेज़ों की मांग की, जिनका जुटाना ग्रामीण, गरीब, प्रवासी और हाशिये पर खड़े लोगों के लिए अत्यंत कठिन था। ऐसे में पारदर्शिता ही एकमात्र साधन है जो सरकार/निर्वाचन आयोग और नागरिकों के बीच वैमनस्य को कम कर सकता है और देश को लोकतांत्रिक रूप से एकजुट रख सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की भूमिका का **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग, 2025 के सन्दर्भ में विस्तृत अध्ययन** करना है।[7] इसमें चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाता सूची की शुद्धता, वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन, और सूचना तक पहुँच जैसे संवैधानिक अधिकारों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का मकसद यह जानना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और वैध मतदाताओं के नाम विलोपन जैसी समस्याएँ किस प्रकार लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों के माध्यम से चुनावी सुधार और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। यह शोध पत्र इस बात को स्थापित करने का प्रयास करेगा कि भारतीय लोकतंत्र की असली शक्ति उसकी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और नागरिकों की समान भागीदारी में निहित है।

कार्य योजना :

इस शोध पत्र में अध्ययन के उद्देश्य को प्राप्त करने में भारतीय विधायनों, लेखों, प्रकाशनों, न्यायिक निर्णयों, ग्रन्थो और वेबसाइटस् का सहारा लिया गया है।

संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान :

[6] एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 640/2025।
[7] तथैव।

भारतीय लोकतंत्र का आधार संविधान और चुनावी कानून हैं।[8] ये दोनों ही चुनावी प्रक्रिया की वैधता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।[9] इनका उद्देश्य मतदाता के अधिकार की रक्षा करना और लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखना है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय एवं भारतीय चुनावी प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। निर्वाचन आयोग को किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना निर्णय लेने का अधिकार है। यह चुनावों के आयोजन, मतदाता सूची की तैयारी, उम्मीदवारों की प्रमाणिकता की जाँच और चुनावी शिकायतों का निपटारा करता है। इसके कार्य चुनाव की तिथि और कार्यक्रम निर्धारित करना, मतदाता सूची का संकलन और अद्यतन करना, उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनावी खर्च और फंडिंग की निगरानी, चुनावी नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करना आदि हैं।[10] निर्वाचन आयोग के निर्णयों की वैधता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय भी निगरानी करता है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है।[11] यह आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विशेष संशोधन या विशेष गहन पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है।

भारत का हर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का नागरिक, जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता पूरी करता है, मतदान में भाग ले सकता है।[12] यह सभी नागरिकों को समान मतदान का अधिकार देता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।[13] अनुच्छेद 326 के तहत कुछ सीमाएँ भी निर्धारित हैं, जैसे कि मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति या अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा।[14]

भारत में मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से नियंत्रित होता है।[15] इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो। कोर्ट ने कहा कि मतदान का अधिकार भले ही वैधानिक है, लेकिन मतदाता को जानकारी पाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत मौलिक अधिकार है।[16] इस फैसले से प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, देनदारियाँ आदि का खुलासा अनिवार्य किया गया। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना संविधान की मूल संरचना

---

[8] डीडी बसु, *भारत के संविधान का परिचय* (लेक्सिस नेक्सिस 2022) 211।

[9] वी.एस. रामादेवी और एस.के. मेंदीरत्ता, *भारत कैसे वोट करता है, चुनाव कानून, अभ्यास और प्रक्रिया* (लेक्सिस नेक्सिस 2007) 218।

[10] भारत निर्वाचन आयोग, *रिटर्निंग अधिकारियों के लिए हैंडबुक* (ईसीआई 2019) 55।

[11] भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 324।

[12] भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 326।

[13] भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 325।

[14] भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 326।

[15] एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र और अन्य, एआईआर 1952 एससी 64।

[16] पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर 2003 एससी 2363।

का हिस्सा है, इसलिए मतदाता सूची और मतदान अधिकार की पवित्रता बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।[17]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम[18] भारतीय चुनाव प्रणाली की रीढ़ है। इस अधिनियम का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, उम्मीदवारों की योग्यता तय करना और चुनावी अपराधों की परिभाषा देना है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी।[19]

वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या चुनावों के संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी कानून के प्रावधानों के तहत मतदान करने से फिलहाल अयोग्य है, मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य होगा।[20] किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का एक से अधिक बार पंजीकरण नहीं किया जाएगा।[21] सुप्रीम कोर्ट ने **कृष्णा कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया** में यह स्पष्ट किया गया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार संविधान के तहत सुरक्षित है।[22]

धारा 21 के अनुसार मतदाता सूची हर चुनाव से पहले और आवश्यकता पड़ने पर हर साल संशोधित होगी, और चुनाव आयोग के पास किसी भी समय विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की शक्ति है।[23] धारा 22, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह शक्ति देती है कि वह मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियों में सुधार, स्थानांतरित या हटाकर शुद्धिकरण कर सके, लेकिन प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर और तथ्यात्मक जांच अनिवार्य है।[24] धारा 23 के अनुसार कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित नहीं किया जायेगा। यह प्रक्रिया, एक ही व्यक्ति का दो जगह नाम न हो, और आधार से सत्यापन जैसी व्यवस्थाएँ प्रदान करती है, परंतु आधार की अनुपलब्धता मतदाता अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं है।[25] अधिनियम चुनाव के नियम, समय सीमा, मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और मतदान की पद्धति निर्धारित करता है।[26]

---

17 किशन सिंह तोमर बनाम अहमदाबाद नगर निगम, (2006) 8 एससीसी 352।
18 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 43, 1951)।
19 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 43, 1951), धारा 15।
20 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 43, 1951), धारा 16।
21 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 43, 1951), धारा 18।
22 कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ, एआईआर 1990 एससी 1782।
23 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 43, 1951), धारा 21।
24 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 43, 1951), धारा 22।
25 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 43, 1951), धारा 23।
26 उपरोक्त, धारा 14।

सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उम्मीदवारों की योग्यता और चुनावी भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाया है।[27] आदर्श आचार संहिता की शुरुआत वर्ष 1960 में केरल में हुई थी।[28] वर्ष 1979 तक राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ इसका विस्तार किया गया। **सूचना का अधिकार अधिनियम** राजनीतिक दलों को सार्वजनिक निगरानी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है।[29] पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन का कार्यकाल आदर्श आचार संहिता के सख्त प्रवर्तन के लिये जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1993 में मतदाता फोटो पहचान पत्र की शुरुआत की जिससे मतदाताओं की सही पहचान सुनिश्चित की जा सके।[30] वर्ष 1989 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रावधान किया गया।[31] वर्ष 2011 पारदर्शिता बढ़ाने के लिये वोटर–वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रोटोटाइप का विकास कर वर्ष 2013 से इसका प्रयोग किया गया।[32] जहाँ चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास हो रहे थे वहीं इसके विपरीत सरकार ने वर्ष 2018 में राजनीतिक दलों को गुमनाम धन मुहैया कराने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना की शुरूवात की।[33] जिसे फरवरी 2024 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ** के मामले में सर्वसम्मति से इस योजना और संबंधित संशोधनों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।[34]

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका :

लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब प्रत्येक नागरिक यह महसूस करे कि उसका मत सुरक्षित और सार्थक है। मतदाता केवल मतदान करने का अधिकार ही नहीं रखता, बल्कि उसे यह जानने का भी संवैधानिक अधिकार है कि वह जिस उम्मीदवार को चुन रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसी परिप्रेक्ष्य में **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग**[35] का ऐतिहासिक निर्णय सामने आया, जिसने भारतीय चुनावी सुधारों के इतिहास में मील का पत्थर स्थापित किया। इसमें मांग की गई थी कि प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय विवरण अनिवार्य रूप से सार्वजनिक किए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में दिए गए अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि ***"जानकार मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा है।"***[36] न्यायालय ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि वह प्रत्याशियों से शपथपत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उसे सार्वजनिक करे।[37]

27 लिलि थॉमस बनाम भारत संघ, (2013) 7 एससीसी 653।

28 भारत निर्वाचन आयोग, *राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता* (ईसीआई 2019) 3।

29 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, धारा 2(एच)।

30 एसवाई कुरैशी, *एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन* (रूपा 2014) 147।

31 चुनाव संचालन नियम 1961, नियम 49ए।

32 भारत निर्वाचन आयोग, वीवीपीएटी मैनुअल (2013)।

33 चुनाव संचालन नियम 1961, नियम 49ए।

34 वित्त अधिनियम 2017, धारा 135।

35 भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, (2002) 5 एससीसी 294।

36 तथैव।

37 तथैव।

परिणामस्वरूप संसद ने **लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश[38], 2002** पारित कर इस निर्णय के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि सूचना का अधिकार, मूल अधिकार है और इसे सीमित करना संविधान के विरुद्ध होगा। चूनावों की पारदर्शिता के सम्बंध में विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा अक्सर निर्वाचन आयोग एवं सत्तापक्ष पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में गड़बड़ी, पीठासीन अधिकारियों का पक्षपाती होना, बूथ कैप्चरिंग आदि आरोप लगाए जाते रहे हैं।

मतदाता का अधिकार केवल बूथ पर पहुंचकर मतपत्र डालने तक सीमित नहीं है। यह अधिकार तभी प्रभावी होता है जब मतदाता को सही सूचनाएँ उपलब्ध हों, उसका नाम निर्वाचक नामावली में सही ढंग से दर्ज हो, और किसी भी समावेशन/बहिष्कार की प्रक्रिया पारदर्शी व न्यायसंगत हो। इसी संवेदनशील परिप्रेक्ष्य में 2025 का **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग[39]** का सार्वजनिक और न्यायिक विवाद उभरा, जिसने चुनावी पारदर्शिता, पहचान–दस्तावेज़ों के मानदंड और प्रक्रियात्मक सुरक्षा की बहस को तीव्र रूप से केंद्र में ला दिया। बिहार की मतदाता सूचियों में दुरुस्ती लाने का भारत निर्वाचन आयोग का महीने भर का नाटक जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम से जाना जाता है। जिसने मतदाता सूचियों का नया मसौदा जारी किया और जैसी कि उम्मीद थी, इस सूची ने खलबली मचा दी है। जनवरी 2025 की सूची से कम से कम 65 लाख नाम गायब हैं।

चुनाव आयोग बताता है कि ये उन लोगों के नाम हैं जो या तो मर चुके हैं या स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या डुप्लिकेट हैं। लेकिन उसने हटाए गए नामों की सूची को अलग से न ही उपलब्ध कराया और न ही मसौदा रोल को मशीन–पठनीय प्रारूप में उपलब्ध कराया ताकि त्रुटियों या कथित शरारत की दोबारा जाँच की जा सके। विपक्षी दलों का चिंतित होना स्वाभाविक है – अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में एक और संशोधन किया था महाराष्ट्र में, जहां पांच महीने के अंतराल में (मई 2024 में लोकसभा चुनाव और उसी वर्ष नवंबर में राज्य विधानसभा चुनाव के बीच 40 लाख नए मतदाता जोड़े गए थे। इसके कारणों की व्याख्या तो केवल वे ही कर सकते हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन इस कवायद के पीछे की मंशा संदिग्ध प्रतीत होती है। इस असंगठित कदम के पीछे कौन सा तर्क या नियम काम कर रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। यह अराजकता किस आधार पर उत्पन्न हो रही है, यह भी समझ से परे है। फिर भी, एक बात तय है कि हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया की मूल भावना धीरे–धीरे कमजोर होती जा रही है।

एडीआर ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आग्रह किया है कि वह भारत निर्वाचन आयोग को हटाए गए नामों की बूथवार सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दे, साथ ही हटाए जाने के कारण भी बताए। जब जानकारी अधूरी होती है, तो स्वाभाविक रूप से संदेह उत्पन्न होता है और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता महसूस होती है। कम से कम लोगों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उनके नाम क्यों हटाए गए। अब तक जारी 65 लाख

[38] जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (अध्यादेश संख्या 4 वर्ष 2002)।

[39] एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 640/2025।

मतदाताओं की आंशिक सूची में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, केवल यह कहा गया है कि नाम हटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें 15 ऐसे मामलों के उदाहरण देने को कहा है, जिनमें जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर उनके नाम सूची से हटाया गया।

वर्तमान सूची में नाम हटाने के कारण स्पष्ट नहीं हैं। नाम हटाना एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत नोटिस जारी करना और संबंधित व्यक्ति को जवाब देने का अवसर देना अनिवार्य है। लेकिन हमें नहीं पता कि इस बार यह प्रक्रिया कैसे लागू हुई। इसलिए सवाल उठता है किसे नोटिस दिया गया, वह किस प्रकार का था, और चिह्नित मामलों में प्रक्रिया क्या रही? पहले यह जानकारी दी जाती थी कि कितने नए मतदाता सूची में शामिल हुए। इस बार ऐसा कोई आंकड़ा साझा नहीं किया गया। आश्चर्य है कि इतने सारे नए मतदाता आखिर कहाँ गए। इसका उत्तर केवल वही दे सकते हैं जो उन्हें सूची से हटाने के लिए जिम्मेदार हैं।

ऐसा लगता है कि पहले मतदाता सरकार चुनते थे, अब सरकार मतदाताओं को चुन रही है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि कौन वास्तव में भारतीय है। चुनाव आयोग बूथ–स्तरीय एजेंटों (बीएलए) की भूमिका का हवाला देकर अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। क्या यह किसी और के कंधे से गोली चलाना नहीं है? इस प्रक्रिया में बीएलए को शामिल करना कानूनी रूप से संदिग्ध है।

यह गंभीर चिंताएँ पैदा करता है। पहले, अक्सर आरोप लगते थे कि राजनीतिक दल अपने समर्थकों को जोड़कर मतदाता सूचियों में हेराफेरी करने की कोशिश करते थे। राजनीतिक दलों को यह महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपना, चुनाव आयोग द्वारा अपने संवैधानिक कर्तव्य को आउटसोर्स करने के समान है। शक्तियों का यह हस्तांतरण अनिवार्यतः चुनाव आयोग और नागरिकों के संबंधों पर प्रश्नचिन्ह् लगाता है।

निर्वाचन आयोग को मशीन–पठनीय डेटा उपलब्ध कराने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार खुद कहते थे कि उनके मार्गदर्शक सिद्धांत **खुलासा, खुलासा, खुलासा** हैं। अगर यह सच है, तो इसे जारी क्यों नहीं किया गया? समझ नहीं आ रहा कि जानकारी साझा करने में इतना डर क्यों है। और फिर भी, वे पारदर्शी होने का दावा करते हैं। यदि हर बात पर खुलेआम चर्चा की जाए और जनता को दिखाया जाए तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हस्तक्षेप किया और अंतरिम निर्देशों के माध्यम से चुनाव आयोग को पारदर्शी विधियों का पालन करने का आदेश दिया। ड्राफ्ट रोल से हटाये गये नामों की सूची और उनके हटाने के कारणों का सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाए तथा पहचान–दस्तावेज़ों जैसे आधार को स्वीकार्य किया जाए।[40] न्यायालय के इन निर्देशों ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था भी जब नागरिक अधिकारों पर प्रभाव डालती है तो उसकी क्रियाएँ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं और प्रक्रियात्मक सुरक्षा लोकतंत्र

[40] एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 640/2025।

की आवश्यक शर्त है।[41] इसलिए नीति–निर्माताओं के लिये चुनौती यह है कि वे समावेशन और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करें और यह संतुलन तभी उपलब्ध हो सकता है जब नीतियाँ पारदर्शी, कारणपरक और न्यायसंगत रूप से लागू हों।

निष्कर्ष :

लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक को यह विश्वास हो कि उसका मत सुरक्षित और सार्थक है। मतदाता केवल मतदान का अधिकार नहीं रखता, बल्कि उसे यह जानने का संवैधानिक अधिकार भी है कि वह जिस उम्मीदवार को चुन रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की, जिसमें मतदाता सूची से लगभग 65 लाख नामों की कटौती हुई। हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक नहीं की गई और मसौदा रोल मशीन–पठनीय प्रारूप में उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रक्रिया की पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन जैसे नोटिस जारी करना और जवाब का अवसर देना आदि अस्पष्ट रही। आंशिक जानकारी के कारण मतदाताओं में संदेह उत्पन्न हुआ। यह स्पष्ट नहीं कि किसे नोटिस दिया गया और किस प्रक्रिया का पालन किया गया। नए मतदाताओं के आंकड़े साझा नहीं किए गए, जिससे यह सवाल उठता है कि ये मतदाता कहां गए।

बूथ–स्तरीय एजेंटों और राजनीतिक दलों को मतदाता सूची सुधार में शामिल करना कानूनी और संवैधानिक रूप से संदिग्ध प्रतीत होता है। इससे चुनाव आयोग और नागरिकों के बीच के संबंध में विसंगति उत्पन्न हुई और पारदर्शिता प्रभावित हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि हटाए गए नामों की सूची और उनके हटाने के कारण सार्वजनिक किए जाएं। पहचान दस्तावेज़ जैसे आधार स्वीकार किए जाएँ और समावेशन तथा सुरक्षा के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक संस्थाएँ नागरिक अधिकारों पर प्रभाव डालने पर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं। नीतियाँ तभी प्रभावी होंगी जब वे पारदर्शी, कारणपरक और न्यायसंगत रूप से लागू हों।

सुझाव :

निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके कार्य पर दूसरी संवैधानिक संस्था जैसे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े, यह निर्वाचन आयोग की छवि को घूमिल करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को पलट दिया, जब पाया कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के लिए डाले गए आठ मतपत्रों पर जानबूझकर निशान लगाकर उन्हें खराब कर दिया था और फिर उन्हें अवैध

[41] तथैव।

घोषित कर दिया था।[42] निर्वाचन आयोग पर अक्सर अपारदर्शिता और न्याय असंगत प्रक्रिया के आरोप लगते रहे हैं। लोकतंत्र बनाए रखने और मतदाता अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुझाव निम्नलिखित हैं।

निर्वाचन आयोग को चाहिए कि निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों जैसे बूथ–स्तरीय एजेंटों, सुपरवाइजरों आदि की स्थाई नियुक्त करे जिनका कार्य सिर्फ निर्वाचन से सम्बन्धित हो। इन कर्मचारियों को सरकार के अन्य उपक्रमों या कार्यालयों या विभागों से उधार न लिया जाए। प्रत्येक वार्ड/पंचायत में एक स्थाई निर्वाचन कार्यालय का गठन किया जाए, उसके खुलने का समय निश्चित किया जाए।

सरकार ने विभिन्न प्रकार के परिचय प्रमाण पत्रों की जगह एक रूपता लाने के लिए बायोमेट्रिक आधारित प्रमाण पत्र आधार कार्ड बनवाने की मुहीम चलायी और इसे सभी सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया। आज जब मेरा आधार मेरी पहचान बन चुका है और यह अभी तक निर्वाचन आयोग द्वारा भी स्वीकार्य था। बिहार राज्य में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण में निर्वाचन आयोग ने इसे आधार कार्ड को अचानक अस्वीकार्य कर दिया और इसे अस्वीकार्य करने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया।

निर्वाचन आयोग को चाहिए कि निर्वाचन के लिए प्रत्येक मतदाता को एक ऐसा बायोमेट्रिक आधारित प्रमाण पत्र जिसका स्तर पासपोर्ट जितना हो, जारी करे जिसे दूरस्थ बैठकर भी अपडेट किया जा सके। इस निर्वाचन प्रमाण पत्र को अनिवार्य नागरिकता कार्ड का दर्जा दिया जाए। इन निर्वाचन प्रमाण पत्रों के आधार पर मतदाता सूची तैयार की जाए और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए पारदर्शिता बरती जाए। कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य हो। नाम हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर जवाब देने का अवसर दिया जाए। हर नाम विलोपन/संशोधन का रिकॉर्डेड कारण स्पष्ट रूप से दर्ज और प्रकाशित किया जाए। मतदाता सूची को डिजिटल और ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम में अपडेट किया जाए ताकि छेड़छाड़ की संभावना न्यूनतम हो। इससे अवश्य ही पारदर्शिता और जनविस्वास बढ़ेगा।

बूथ–स्तरीय एजेंटों और राजनीतिक दलों को सूची संशोधन की प्रक्रिया से दूर रखा जाए। मतदाता सूची का सत्यापन केवल चुनाव आयोग और स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा किया जाए।

चुनाव आयोग को अपने हर कदम का कारण–परक स्पष्टीकरण जनता के साथ साझा करना चाहिए। मतदाताओं को यह अधिकार दिया जाए कि वे ऑनलाइन पोर्टल/हेल्पलाइन के माध्यम से अपने नाम की स्थिति जान सकें। शिकायत दर्ज करने और उसका त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाए।

---

[42] उपलब्ध है– https://timesofindia.indiatimes.com/india/supreme-court-overturns-chandigarh-mayor-election-results-declares-aap-congress-alliance-candidate-kuldeep-kumar-as-new-city-mayor/articleshow/107855314] (अन्तिम बार देखा गया 25 अगस्त 2025)।

यदि निर्वाचन आयोग राजनैतिक पार्टियों से स्वतंत्र रहकर निष्पक्ष कार्य करे जो अवश्य ही लोकतंत्र और मतदाता के अधिकारों की रक्षा की जा सके।